



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विज्ञापित

अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित समय-सीमा में उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कार्यक्षमता के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। निगम द्वारा इन मापदण्डों के अनुरूप सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर नियमानुसार प्रभावित व्यक्ति को निम्नानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति के भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

क्र. सं.	सेवा का प्रकार	निर्धारित समयावधि	निर्धारित समयावधि में कार्य नहीं होने पर क्षतिपूर्ति
1. आपूर्ति पुनः चालू करना			
1	शून्य करंट होने की शिकायत	श्रेणी -1 शहरों में - 4 घण्टा शहरी क्षेत्रों में - 8 घण्टा ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए
2	ऊपरी लाइन/केबिल खराब हो जाना	श्रेणी -1 शहरों में - 8 घण्टा शहरी क्षेत्रों में - 12 घण्टा ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए
3	भूमिगत केबिल खराब हो जाना	श्रेणी -1 शहरों में - 12 घण्टा शहरी क्षेत्रों में - 24 घण्टा ग्रामीण क्षेत्रों में 36 घण्टे	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए
4	ट्रान्सफार्मर विफलता	वितरण ट्रांसफार्मर श्रेणी -1 शहरों में - 16 घण्टा शहरी क्षेत्रों में - 36 घण्टा ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे पॉवर ट्रांसफार्मर 3 कार्य दिवस	रु. 100 एलटी के लिए रु. 300 एचटी के लिए
5	घोषित लोड शैडिंग	1 दिवस में अधिकतम 10 घण्टे	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए
2. आपूर्ति की गुणवत्ता			
6	वोल्टेज उतार चढ़ाव	सामान्यतः - 2 कार्यदिवस ट्रांसफार्मर की मरम्मत/ प्रतिस्थापन - 1 माह सब-स्टेशन का संवर्द्धन 4 माह नये सब-स्टेशन का निर्माण 6 माह	रु. 100 एलटी के लिए रु. 300 एचटी के लिए
3. मीटर शिकायतें			
7	मीटर का परीक्षण	अधिकतम 2 माह	रु. 200 एलटी के लिए रु. 500 एचटी के लिए रु. 1000 ईएचटी के लिए
8	बन्द/दोषपूर्ण/जले हुये मीटर का प्रतिस्थापन	अधिकतम 2 माह	आपूर्ति कोड विनियमों के अनुसार
9	मीटर के कारण शून्य करंट होने की शिकायत	48 घण्टे	रु. 200 एलटी के लिए रु. 500 एचटी के लिए रु. 1000 ईएचटी के लिए
4. मीटर/सर्विस लाइन का स्थान परिवर्तन			
10	मांग पत्र	15 दिवस	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए रु. 200 ईएचटी के लिए
11	मीटर का स्थान परिवर्तन	एल.टी. उपभोक्ता-7 कार्यदिवस एच.टी. उपभोक्ता- 15 कार्य दिवस	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए रु. 200 ईएचटी के लिए
12	सर्विस लाइन का स्थान परिवर्तन	एल.टी. उपभोक्ता-15 कार्यदिवस एच.टी. उपभोक्ता- 1 माह	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए
5. नया कनेक्शन/अतिरिक्त भार दिया जाना			

13	नया कनेक्शन/अतिरिक्त भार दिया जाना	TCOS-2004 के प्रावधानानुसार	रु. 200 एलटी के लिए रु. 500 एचटी के लिए रु. 1000 ईएचटी के लिए
6. स्वामित्व का अन्तरण या श्रेणी का परिवर्तन			
14	स्वामित्व का अन्तरण या श्रेणी का परिवर्तन	अधिकतम 2 माह	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए रु. 200 ईएचटी के लिए
7. उपभोक्ता विल शिकायत			
15	विलिंग सम्बन्धी शिकायत समाधान	सूचना संग्रहण ना किये जाने की स्थिति में 3 कार्य दिवस सूचना संग्रहण किये जाने की स्थिति में 7 दिवस	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए रु. 200 ईएचटी के लिए
8. आपूर्ति का विच्छेदन			
16	आपूर्ति का विच्छेदन	श्रेणी -1 शहरों में - 3 कार्य दिवस शहरी क्षेत्रों में - 7 कार्य दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 10 कार्य दिवस	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए रु. 200 ईएचटी के लिए
17	अदेयता प्रमाण पत्र जारी करना	अधिकतम 2 माह	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए रु. 200 ईएचटी के लिए
9. विच्छेदित उपभोक्ता को विद्युतापूर्ति पुनः चालू करना			
18	विच्छेदित उपभोक्ता को विद्युतापूर्ति पुनः चालू करना	आपूर्ति कोड विनियमों के अनुसार	रु. 50 एलटी के लिए रु. 100 एचटी के लिए रु. 200 ईएचटी के लिए
10. आपूर्ति में भारी उतार-चढ़ाव या शॉर्ट सर्किट के कारण क्षति के लिए क्षतिपूर्ति			
19	पंखा, श्वेत-श्याम टी.वी., मिक्सी	-	रु. 500
20	रंगीन टी.वी., अर्द्ध-स्वचालित वाशिंग मशीन, फ्रीज	-	रु. 1000
21	पूर्ण स्वाचालित वाशिंग मशीन, कम्प्यूटर, एसी	-	रु. 2000

टिप्पणी : आपूर्ति में भारी उतार-चढ़ाव या लाइनों के शॉर्ट सर्किट के कारण क्षति के लिए क्षतिपूर्ति व्यष्टियों को तभी संदेय होगी जबकि ऐसी घटना ने फीडर पर पांच से अधिक उपभोक्ताओं को प्रभावित किया हो और क्षतिग्रस्त उपकरणों का निगम द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिया गया हो।

निगम द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान किये जाने वाली विद्युत सेवा निर्धारित समयावधि में नहीं देने पर प्रभावित उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता (परिवेदना), अविनिनिलि, अजमेर से दूरभाष नं०/मोबाइल नं०- 9414085674 ई-मेल xensnialjmer@gmail.com) पर क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में सम्पर्क कर सकते हैं।

निगम द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर प्रभावित व्यक्ति आर्थिक क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु सेवा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात 30 दिवस में सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय में निम्न प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

कार्यक्षमता के मापदण्डों के अनुसार निष्पादन न किये जाने के कारण क्षतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम
2. पता
3. लेखा संख्या
4. सेवा, जिसके लिए शिकायत दर्ज करवायी गयी है, का प्रकार कारित क्षति का प्रकार
5. शिकायत दर्ज करवाने का दिनांक/समय
6. कॉल - सेन्टर का पंजीकरण संख्या
7. शिकायत के निस्तारण का समय
8. शिकायत के निस्तारण हेतु विहित समय
9. शिकायत के निस्तारण में हुआ विलम्ब

उपभोक्ता/आवेदक के हस्ताक्षर